भारतीय न्यायालयों को कैसे और अधिक कुशल बनाया जाये

साभार : लाइव मिंट (16 सितंबर, 2017)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) के लिए महत्वपूर्ण है।

बेहतर मामला प्रबंधन और प्रक्रियात्मक सुधारों से लंबित पड़े मामलों की संख्या को कम करने में काफी मदद मिल सकती है।

भारतीय न्यायिक प्रणाली में लंबित पड़े मामलों की समस्या काफी अधिक है। यह हमें ज्ञात है कि प्रत्येक प्रशासन सुधार और आर्थिक विकास बहस का एक मुद्दा होता है। खबर है कि केरल, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ में निचली अदालतों ने लगभग सभी मामलों का निपटारा कर दिया है जो एक दशक या उससे अधिक समय से लंबित पड़ा हुआ था और यह काफी आश्चर्यचकित करने वाला था। आज, इन चार राज्यों और संघीय क्षेत्र चंडीगढ़ में 10 साल से अधिक समय से लंबित पड़े मामले मात्र 11,000 की संख्या में मौजूद हैं। यह काफी प्रभावशाली लगता है कि राष्ट्र में लाबित पड़े मामलों की संख्या लगभग 23 लाख के रूप में आंकी गयी है। देखा जाये तो दिल्ली, असम, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक भी लंबे समय से लंबित पड़े मामलों को समाप्त करने के करीब हैं।

ये आंकड़े केवल निचली अदालतों से संबंधित हैं, लेकिन फिर भी हमें इससे कई महत्वपूर्ण सबक सीखना बाकी हैं, खासकर निचली अदालतों में जहां ज्यादातर मामलों में यह फंस जाता है। उदाहरण के लिए, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की निचली अदालतों पर अधिकारिता वाले पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय, जहाँ करीब एक दशक पहले, एक केस प्रबंधन प्रणाली स्थापित की गयी थी अर्थात प्रत्येक मामले के शुरुआत से लेकर निपटान तक निगरानी करने वाला एक तंत्र। साथ ही इसने आवश्यकता के आधार पर रिट याचिकाओं को वर्गीकृत करना भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा, यह पुराने मामलों का निपटान करने के लिए न्यायिक अधिकारियों के वार्षिक लक्ष्य और कार्य योजनाओं को भी निर्धारित करता है और तिमाही निष्पादन की समीक्षा के साथ यह सुनिश्चित किया जाता है कि कहीं मामलों का निपटारा अनुचित या जल्दबाजी में तो नहीं किया गया है। इन सभी उपायों से प्रणाली में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की स्थिति कायम हुई है, जिसके परिणाम अब स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं।

हांलाकि, एक तथ्य यह भी है कि अदालतों को मामलों का निपटान करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त न्यायाधीश मौजूद नहीं हैं। लेकिन देखा जाएँ तो यह पूरी तरह से सच भी नहीं है, क्योंकि कुछ अदालतें स्पष्ट रूप से एक ही परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रबंध कर रहे हैं। डेटा पत्रकारिता वेबसाइट इंडिया स्पेंड के एक अध्ययन के अनुसार न्यायिक रिक्तियों और अदालत के प्रदर्शन के बीच कोई ठोस प्रत्यक्ष संबंध नहीं पाया गया है। इस अध्ययन ने तमिलनाडु की निचली अदालतों में देखा और पाया है कि सभी अदालतों में न्यायाधीशों की कमी हुई है, फिर भी उनके प्रदर्शन में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। उदाहरण के लिए, किसी भी राज्य में एक मामले को करने में लगभग 2.95 साल का समय लगता है, अरियालुर जिले में, इसमें औसत 4.65 वर्ष लगते हैं। इसी तरह, एक तरफ चेन्नई की निचली अदालतों में आपराधिक मामलों का निपटारा सबसे तेज है, तो दूसरी तरफ कोयंबटूर की निचली अदालतें सबसे धीमी हैं। इस तथ्य से सभी परिचित है कि देश में बड़ी संख्या में न्यायिक रिक्तियां एक बड़ी समस्या है। लेकिन समस्या के समाधान के अन्य प्रभावी उपाय भी मौजूद हैं।

न्यायिक मामला प्रबंधन एक महत्वपूर्ण उपाय है, जहाँ अदालत मामले के निपटान के लिए एक समय सारिणी निर्धारित करती है और न्यायाधीश सक्रिय रूप से इसकी प्रगति की निगरानी करता है। यह मामलों के प्रबंधन में एक मौलिक बदलाव का प्रतीक है। हालांकि कुछ कानूनी विशेषज्ञों जैसे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सर गेरार्ड ब्रेनन ने तर्क दिया है कि न्यायाधीशों को न्यायिक मामलों से ही जुड़े रहना चाहिए और अन्य अदालत के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रशासनिक मुद्दों को छोड़ देना चाहिए, अन्य लोग जैसे यूके के लॉर्ड वूल्फ, जिन्होंने इंग्लैंड और वेल्स में नागरिक न्याय प्रणाली में सुधार पर बड़े पैमाने पर काम किया था, विश्वास है कि दो कार्यों को अलग रूप से नहीं देखा जा सकता है।

भारतीय कानून आयोग ने अपने 230 वें रिपोर्ट में लंबित पड़े मामलों से निपटने के लिए उपायों की एक लंबी सूची पेश की है। इसमें उच्च न्यायपालिका में अवकाश के समय को कम करने, स्थगन के अनुदान के लिए सख्त दिशानिर्देश, मौखिक तर्कों के लिए समय कम करना शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा, अदालतों को भी सिस्टम में तकनीक को शामिल करने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए; कोर्ट के रिकॉर्ड को डिजिटाइज करना इस संदर्भ में एक अच्छी शुरुआत हो सकती है लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित ऑटोमेशन, जिसक उपयोग पहले से ही डॉक्टर कर रहे हैं, इसलिए इसे न्यायाधीशों और वकीलों की सहायता के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है।

इस महीने के शुरू में, एक विशेष अदालत ने 1993 के मुंबई बम धमाकों के लिए गैंगस्टर अबू सलेम और अन्य को सजा सुनाई थी। भारतीय राज्य को अपराधी और दोषी ठहराए जाने के लिए लगभग 25 वर्ष लग गए, जबकि इनमें से कुछ ने भारतीय जमीन पर आतंकवाद के सबसे खतरनाक कृत्यों को अंजाम दिया था। न्याय में देरी न्याय के साथ समझौता करना है। यही भारतीय न्यायिक प्रणाली की दोहरी प्रकृति द्वारा उल्लिखित सत्य है। नागरिकों को दो बार राज्य द्वारा खराब सेवा प्रदान की जाती है: एक बार तब, जब कानून में उनकी पहुंच वास्तविकता की तुलना में अधिक होती है और दूसरी बार तब, जब उन्हें आर्थिक विकास के लाभ से वंचित किया जाता है, जहाँ अदालतों द्वारा इसे और जटिल बना दिया जाता है, लेकिन केरल और पंजाब जैसे राज्यों में निचली अदालतों ने यह दिखाया है कि यह जरूरी नहीं है, जिससे हम सभी को सीख लेते हुए अपनी प्रणाली में सुधार करना चाहिए।

संबंधित तथ्य

करीब तीन करोड़ लंबित मामलों के बोझ से दबे हुए हमारे न्यायालय जजों और कक्षों की कमी से जूझ रहे हैं। कानूनी और प्रशासनिक अड़चनें भी मामलों के निपटारे की प्रक्रिया को बाधित करती हैं। उच्च न्यायालयों में समुचित संख्यों में जजों की नियुक्ति में देरी के मुद्दे पर बीते साल केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय की बीच में तकरार के भी सकारात्मक परिणाम नहीं निकल सके हैं।

भारत में 73 हजार से अधिक आबादी पर औसतन एक जज है, जो कि अमेरिका की तुलना में सात गुना अधिक है। वर्ष 1987 में ही विधि आयोग ने जजों की संख्या पांच गुना बढ़ाने की सिफारिश की थी। पर, सुधार की बहस को सिर्फ नियुक्ति तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए और मामलों के शीघ्र निपटारे पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

इसके लिए फास्ट-ट्रैक अदालतें और पीठ स्थापित किये जा सकते हैं। अदालतों का आधुनिकीकरण करने और कार्य-दिवस बढ़ाने के साथ मुकदमे की सुनवाई लटकाने की प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने की जरूरत है।

'तारीख-पे-तारीख' के रवैये से आम जनता को न्याय मिलने में देरी तो होती ही है, धन और समय की बरबादी भी होती है। एक हजार से अधिक मौजूदा कानून ब्रिटिश शासन से ही बने हुए हैं।

उन्हें हटाने या संशोधित करने के लिए प्रयास तेज किये जाने चाहिए। पिछले दिनों फर्जी वकीलों की बड़ी संख्या का मामला भी सामने आया है।

किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्याय प्रक्रिया हर किसी के लिए सुलभ होनी चाहिए, अन्यथा समतामूलक समाज बनाने तथा आर्थिक विकास करने की आकांक्षाएं पूरी नहीं हो सकती हैं।

वर्ष 2017-18 के बजट में न्यायिक प्रशासन के लिए 1,744.13 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं, जो 21.47 लाख करोड़ के पूरे बजट का एक फीसदी भी नहीं है। इसमें सुधारों और न्याय देने के लिए बने राष्ट्रीय आयोग के लिए 432.50 करोड़ का प्रावधान है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने तथा निपटारे की प्रक्रिया तेज करने के लिए धन और संसाधन की ठोस व्यवस्था की जानी चाहिए। उम्मीद है कि सरकार और सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति की सलाह पर ध्यान देते हुए सुधारों की ओर तेज गति से बढ़ेंगे।

भारतीय न्यायिक प्रणाली के सामने चुनौतियां

- **न्यायपालिका में भ्रष्टाचार:** सरकार की किसी भी अन्य संस्था की तरह भारतीय न्यायिक प्रणाली भी समान रुप से भ्रष्ट है। हाल ही में हुए विभिन्न घोटालों जैसे सीडब्ल्यूजी घोटाला, 2जी घोटाला, आदर्श सोसायटी घोटाला और बलात्कार सहित समाज में हो रहे अन्य अत्याचारों ने नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों और आम जनता सभी के आचरण पर जोर डाला है और भारतीय न्यायपालिका के काम के तरीकों में भी कमियां दिखाई हैं। यहां जवाबदेही की कोई व्यवस्था नहीं है। मीडिया भी अवमानना के डर से साफ तस्वीर पेश नहीं करता है। रिश्वत लेने वाले किसी जज के खिलाफ बिना मुख्य न्यायाधीश की इजाजत के एफआईआर दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है।
- **लंबित मामलों का बैकलॉग:** भारतीय कानून प्रणाली में दुनिया में सबसे ज्यादा लंबित मामलों का बैकलॉग है जो कि लगभग 30 मिलियन मामलों का है। इनमें से 4 मिलियन हाई कोर्ट में, 65000 सुप्रीम कोर्ट में हैं। यह आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी से कानून प्रणाली की अयोग्यता का पता चलता है। जजों की संख्या बढ़ाने, और ज्यादा कोर्ट बनाने की बात हमेशा की जाती है, पर इसे लागू करने में हमेशा देर या कमी होती है।
- **पारदर्शिता की कमी:** भारतीय न्यायिक प्रणाली की एक और समस्या उसमें पारदर्शिता की कमी है। यह देखा गया है कि सूचना के अधिकार को पूरी तरह से कानून प्रणाली से बाहर रखा गया है। इसलिए न्यायपालिका के कामकाज में महत्वपूर्ण मुद्दों, जैसे न्याय और गुणवत्ता को ठीक से नहीं जाना जाता है।
- **विचाराधीन कैदियों की मुश्किलें:** भारतीय जेलों में बंद कैदियों में से ज्यादातर विचाराधीन हैं जो कि उनके मामलों के फैसले आने तक जेल में ही बंद रहते हैं। कुछ मामलों में तो ये कैदी अपने ऊपर दायर मामलों की सजा से ज्यादा का समय सिर्फ सुनवाई के इंतजार में ही जेल में निकाल देते हैं। इसके अलावा अदालत में खुद के बचाव का खर्च और दर्द वास्तविक सजा से भी ज्यादा होता है। वहीं दूसरी ओर अमीर लोग पुलिस को अपनी ओर कर लेते हैं जिससे पुलिस अदालत में लंबित मामले के दौरान गरीब व्यक्ति को परेशान या चुप कर सकती है।
- **समाज से परस्पर संवाद नहीं:** यह बहुत जरुरी है कि किसी भी देश की न्यायपालिका समाज का अभिन्न अंग हो और उसका समाज से नियमित और प्रासंगिक परस्पर संवाद होता रहे। कुछ देशों में न्यायिक निर्णयों में आम नागरिकों की भी भूमिका होती है।

संभावित प्रश्न

न्यायालय में लंबित पड़े मामले तथा समय पर न्याय की प्राप्ति न होना, न सिर्फ न्यायिक अधिकारों का हनन है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों का भी हनन है। इस कथन के सन्दर्भ में वर्तमान में लंबित मामलों को देखते हुए न्यायिक प्रक्रिया में आवश्यक सुधारों हेतु अपना मत व्यक्त करें। **(200 शब्द)**